

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/21

जयपुर, दिनांक : 10/6/21

—: आदेश :—

डॉ. आरुषी अजेय मलिक, आई.ए.एस. शासन सचिव, पशुपालन गौ पालन मत्स्य विभाग, जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 20/2020 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2037, के आधार पर निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 27 के प्रावधनान्तर्गत इस विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2021 द्वारा आवंटित प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या, 1/13, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 1/30, गांधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता हैः—

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चैंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- डॉ. आरुषी अजेय मलिक, आई.ए.एस. शासन सचिव, पशुपालन गौ पालन मत्स्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित राजकीय आवास निर्धारित अवधि में नियमानुसार रिक्त कर विभाग को सूचित करेंगे।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया करौती सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करावे।
- मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल जयपुर।
- उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव